राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 9/2016
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2016/00097
दायर दिनांक– 22.07.2016
निर्णय दिनांक– 05.04.2023

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

——वादी

बनाम

1. मोहन पुत्र प्रभात, कमला पत्नि रामेश्वर, रामा पुत्र रामेश्वर जाति रेगर नि0 ग्राम सिनोदिया तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिनोदिया पटवार हल्का सिनोदिया, भू–अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में कृषि भमि ख0न0 930 रकबा 9–14 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 284 पर दर्ज है। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ भूमिधारक है। अप्रार्थीगण भूमि के खातेदार काश्तकार हे। प्रार्थी भूमिधारक से अप्रार्थीगण ने बतौर खातेदार के भूमि धारित की है। वाद अधीन भूमि कृषि भूमि है, जिस पर खेती काश्त करने के अलावा अप्रार्थीगण अन्य कोई अकृषि कार्य नहीं कर सकते है। अप्रार्थीगण अकृषि कार्य करने के लिए अधिकृत नही है।

पटवारी हल्का सिनोदिया द्वारा दिनांक 20.07.2016 को एक रिपोर्ट मय मौका पर्चा के प्रार्थी को प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम सिनोदिया के ख0न0 930 रकबा 9–14 बीघा में से 2–10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से बजरी खनन कार्य से बड़े–बड़े खड्डे खुदे हुये है अर्थात पूर्व में अवैध खनन कार्य किया जाना पाया गया था। पटवारी हल्का सिनोदिया की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नंबर में पूर्व में अवैध बजरी खनन किया हुआ है एवं उक्त खसरा नंबर में 2–10 बीघा भूमि कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थीगणों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में अवैध खनन कार्य कर अवैध रूप से बजरी खनन कार्य किया जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध कार्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट तौर पर अप्रार्थीगणों का कृत्य कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगणों की यह अधि[illegible] है कि कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य कर भूमि के स्वरूप [illegible] भूमि की मृदा को नष्ट, खुर्द–बुर्द कर सकें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:16:02 IST
Reason: SelfAttested

05.4.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद कारण दिनांक 20.07.2016 को पटवारी हल्का सिनोदिया द्वारा मौका पर्चा दिनांक 19.07.2016 प्रस्तुत कर अप्रार्थीगणों द्वारा वाद अधीन भूमि पर अवैध बजरी खनन कार्य करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही में अमल लायी गया। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी जवाब, साक्ष्य आदि पेश नहीं किये गये है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण पत्रावली में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही बहस में नियत की गयी।

पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र को ही बहस के तथ्य समझे जाने हेतु निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस पर मनन किया। अतः वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद–पत्र वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सिनोदिया के ख0न0 930 रकबा 9–14 बीघा में से 2–10 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

05.04.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:16:02 IST
Reason: SelfAttested